



संख्या- 4864/जी0एस0(शिक्षा)/A16-20/2024

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,

अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 27 जुलाई, 2026

महोदय,

कृपया सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230523015713 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
पिथौरागढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्रा0 व पो0-बुंगाछीना, तहसील-देवलथल, पिथौरागढ़	बी0सी0ए0	60	2024-25
	बी0बी0ए0	60	

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव में प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। यह भी कि संस्थान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1660/2026 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पारित आदेश में अंतरिम राहत प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह छात्रहित में संस्थान से प्राभूति राशि बाबत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by

Reena Joshi

Date: 27-07-2026

15:07:22
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या-4864 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-20/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गाइड फाईल हेतु।

Digitally signed by

Shri Laxman Ram Arya

Date: 27-07-2026

15:43:12 (लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उप सचिव।